रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 525] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 23, 1972/पौष 2, 1894

No. 525] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 23, 1972/PAUSA 2, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Office of the Controller of Capital Issues)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December 1972

S.O. 762(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Capital Issues (Control) Act, 1947 (29 of 1947) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, S.O. 3948, dated the 26th November, 1970, the Central Government hereby reconstitutes the Advisory Committee on Capital Issues Control consisting of the following members:—

1. Shri R. S. Bhatt.
2. Shri Tulsidas Dasppa, M.P.
3. Shri V. G. Rajadhyaksha.
4. Shri S. K. Bhattacharyya.
5. Shri J. B. Dadachanji.

Shri R. S. Bhatt shall be the Chairman of the Advisory Committee.

2. The Advisory Committee shall have a tenure of two years.

[No. F. 16(3)-CCI/72.]

R. M. BHANDARI, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(पूंजी निर्गम नियंत्रक का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1972

का० आ० 762(अ).—पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 29वा) के खण्ड 11 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना का० आ० 3948 दिनांक 26 नवम्बर, 1970 को रद्द करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूंजी निर्गम नियंत्रण सम्बन्धी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करती है जिसके सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

1. श्री आर० एस० भटट
2. श्री तुलसीदास दासप्पा, संसद सदस्य
3. श्री वी० जी० राजाध्यक्ष
4. श्री एस० के० भट्टाचार्य
5. श्री जे० बी० दादाचंजी

श्री आर० एस० भटट, सलाहकार समिति के अध्यक्ष होंगे ।

2. सलाहकार समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा ।

[सं० एफ० 16(3)—सी०आई०/72]

रणजीतमल भंडारी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972